न्यायालय – राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 570–I/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 13.03.2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, निवाड़ी, जिला टीकमगढ़ म0प्र0 प्रकरण कमांक 69/अपील/13–14.

1– सीताराम तनय गोविन्दी नायक

2– ठाकुरदास तनय गोविन्दी नायक

3– जयनारायण तनय सीताराम नायक
निवासी ग्राम नैगुवां तहसील निवाड़ी
जिला टीकमगढ़ म.प्र. ..... आवेदकगण

**विरूद्ध**

जगदीश प्रसाद तनय अयोध्या प्रसाद वैश्य

निवासी ग्राम बीजौर तहसील निवाड़ी ..... अनावेदक

श्री आर.डी. शर्मा एवं श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदकगण ।
श्री के. के. द्विवेदी, अभिभाषक अनावेदक ।

आदेश

( आज दिनांक 7 जुलाई, 2015 को पारित )

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी, निवाड़ी द्वारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–3–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि आवेदकों के पिता से रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 6–12–1985 को क्रय की गई । विक्रयपत्र के आधार पर अनावेदक का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में किया गया । इस

आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने एस.डी.ओ. के समक्ष अपील की जो आदेश दिनांक 4–6–87 द्वारा निरस्त हुई । इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के यहां हुई जो उन्होंने निरस्त की । इस आदेश के विरूद्ध प्रकरण राजस्व मंडल तक आया राजस्व मंडल ने निगरानी प्र0क0 198–छ / /88 में दिनांक 17–6–91 को आदेश पारित कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि नियम 27 के तहत अनावेदक को सूचना देकर नियमानुसार आदेश पारित किया जाये किंतु विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित किये गये प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की । वर्ष 2001–02 में ग्राम पंचायत बाबई ने एक प्रस्ताव डालकर तथा निगरानी प्रकरण का हवाला देकर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का नाम निरस्त कर दिया एवं आवेदकों का नाम अंकित कर दिया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के यहां अपील की जो उन्होंने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार की एवं नामांतरण पंजी कमांक 8 एवं ग्राम पंचायत बाबई द्वारा पारित प्रस्ताव क. 3 दिनांक 15.5.98 तथा खसरों में दर्ज अनावेदकों के नाम की प्रविष्टि को विलोपित कर अनावेदक का नाम दर्ज करने का आदेश दिया । इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3 / आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि वर्तमान प्रकरण में पारित प्रस्ताव कमांक 03 दिनांक 15–5–98 से नामांतरण आदेश राजस्व मंडल के द्वारा वर्ष 1991 में पारित आदेश के पालन में किया गया था, जिसके विरूद्ध अनावेदक द्वारा एस.डी.ओ. के समक्ष अपील की गई जो अवधि बाह्य थी । अधीनस्थ न्यायालय ने अवधि के बिंदु का निराकरण किए बिना सीधे गुणदोष पर आदेश पारित कर दिया है जो अवैधानिक है । प्रकरण के तथ्यों पर बिना विचार किये आलोच्य आदेश पारित किया है जो अपास्त किए जाने योग्य है ।

4 / अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि राजस्व मंडल के प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 17–6–91 द्वारा प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया था ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश अधिकारिता विहीन है । इसलिए परिसीमा का प्रश्न नहीं उठता है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अंतिम प्रकृत्ति का है इसलिए उसकी अपील की जाना चाहिए नाकि निगरानी । उक्त आधार पर उनके द्वारा निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5 / उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का

अवलोकन किया तथा इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17–6–91 का भी परिशीलन किया । इस न्यायालय के आदेश से स्पष्ट है कि प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया है लेकिन तहसीलदार द्वारा कोई कार्यवाही की गई हो यह अभिलेख से स्पष्ट नहीं है । आवेदक अधिवक्ता भी यह स्पष्ट नहीं कर सके कि राजस्व मंडल के प्रत्यावर्तन आदेश के उपरांत तहसीलदार द्वारा उनके पक्ष में कोई आदेश पारित किया गया था । प्रकरण में जो आदेश बताया जा रहा है वह ग्राम पंचायत द्वारा पारित किया गया है जबकि इस न्यायालय द्वारा प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया था अतः ग्राम पंचायत की कार्यवाही विधिवत नहीं मानी जा सकती । जहां तक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का प्रश्न है, उनके द्वारा उक्त तथ्य को अनदेखा किया गया है । दर्शित परिस्थिति में अनुविभागीय अधिकारी एवं ग्राम पंचायत के आदेश निरस्त किए जाते हैं तथा प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ भेजा जाता है कि वे राजस्व मंडल द्वारा दिनांक 17–6–91 को पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में दोनों पक्षों को सुनकर प्रकरण का विधिवत निराकरण करें । उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर